



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या951 / 2015जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स हुवई टेलीकॉम्यूनिकेशन (इण्डिया) कं० प्रा० लि० जरिये प्राधिकृत प्रतिनिधि कमल कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार उप-पंजीयक, जयपुर षष्ठम व अन्य

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.11.2017	<p align="center"><u>खण्डपीठ</u> श्री नत्थूराम, सदस्य श्री के.एल.जैन, सदस्य</p> <p>पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री प्रदीप यादव एवं विभागीय विद्वान अभिभाषक श्री जमील जई उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र पेश कर वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमनेस्टी स्कीम की अधिसूचना दिनांक 30.11.2016 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश कर प्रस्तुत निगरानी को विद्वान करने का निवेदन किया है। जिस पर विभागीय पैरोकार को कोई ऐतराज नहीं है।</p> <p>अतः निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी जरिये विद्वान खारिज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p align="center">  (के.एल.जैन) सदस्य </p> <p align="center">  (नत्थूराम) सदस्य </p>	